सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 11.08.2025 को आयोजित विभागीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही:

<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>कार्य / विषय</th><th>निर्णय / निदेश</th></tr>
<tr><td>1</td><td>लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र के समायोजन की समीक्षा।</td><td>महालेखाकार, बिहार, पटना से समायोजन हेतु लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की स्थितिः–

1. | PRE-CFMS: ₹6276.96 करोड़ | Post - CFMS: ₹30748.43 करोड़ | कुल– ₹37025.39 करोड़

• माह दिसम्बर, 2024 में CFMS के माध्यम से ऑनलाईन अपलोड किये गये उपयोगिता प्रमाण–पत्र की राशि कुल–₹3065.05 करोड़।
• माह दिसम्बर, 2024 में कुल समायोजित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की राशि ₹ 146.75 करोड़।
• माह दिसम्बर, 2024 से जुलाई, 2025 तक जिलों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र की राशि कुल–₹8811.53 करोड़।

लंबित AC-DC विपत्र की स्थिति।

1. | PRE-CFMS: ₹55.48 करोड़ | Post - CFMS: ₹74.99 करोड़ | कुल– ₹130.47 करोड़

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्रों के समायोजन की प्रगति काफी धीमी है। उक्त के आलोक में प्रशाखा–7 के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, सहायक प्रभारी पदाधिकारी एवं प्रशाखा–7 में प्रतिनियुक्त अन्य पदाधिकारी सप्ताह में तीन दिन अलग–अलग जिलों का भ्रमण करेंगे एवं जिला के संबंधित पदाधिकारी / कर्मीगण के साथ समन्वय स्थापित कर योजनाओं से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्रों के समायोजन में तेजी लायेंगे। यदि आवश्यक हो तो जिला के संबंधित पदाधिकारी / कर्मीगण पंचायती राज विभाग (मुख्यालय) में उपस्थित होकर उपयोगिता प्रमाण–पत्र CFMS के माध्यम से ऑनलाईन अपलोड किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रत्येक भ्रमण के उपरांत संबंधित पदाधिकारी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रगति से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत किया जायेगा।

(अनुपालन– प्रशाखा–7)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>ग्राम पंचायतों के सचिवों का अंतर–जिला स्थानान्तरण / पदस्थापन हेतु Portal पर प्राप्त आवेदन के संबंध में।</td><td>बिहार ग्राम पंचायत (पंचायत सचिव का स्थानान्तरण–पदस्थापन) विनियमावली, 2025 के आलोक में सचिवों का अंतर–जिला स्थानान्तरण / पदस्थापन हेतु Portal पर प्राप्त आवेदन का नियमावली के आलोक में निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई किये जाने के लिए जिला को पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन– प्रशाखा–4)</td></tr>
</table>

क्र0 सं0	कार्य / विषय	निर्णय / निदेश
3	**ग्राम पंचायत सचिव को CUG नम्बर दिये जाने के संबंध में।**	विभागीय योजनाओं का ग्राम पंचायत स्तर पर क्रियान्वयन एवं प्रभावी अनुश्रवण की दृष्टि से ग्राम पंचायत सचिव को CUG नम्बर दिये जाने के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर उच्च स्तरीय निर्णय हेतु उपस्थापित किया जाये। **(अनुपालन– प्रशाखा–6)**
4	**MJC/CWJC के लंबित मामले।**	विभाग स्तर पर Counter Affidavit दायर किये जाने की स्थिति काफी असंतोषजनक है। समीक्षा के क्रम में ऐसा पाया गया कि माह जुलाई में Counter Affidavit दायर करने की संख्या से ज्यादा नये मामले विभाग को प्राप्त हुए हैं, जिस कारण लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। उक्त के आलोक में सभी प्रभारी पदाधिकारी अपने प्रशाखा अंतर्गत CWJC/MJC/LPA/SLP इत्यादि के लंबित मामलों की समीक्षा कर विभागीय पैनल अधिवक्ता के माध्यम से Counter Affidavit तैयार कराकर दायर करना सुनिश्चित करें। **(अनुपालन–सभी प्रभारी पदाधिकारी)**
5	**कार्यालय का आधुनिकीकरण एवं स्वच्छता के संबंध में।**	कार्यालय का **आधुनिकीकरण एवं स्वच्छता** के संबंध में सभी प्रशाखा पदाधिकारी अपने प्रशाखा से संबंधित components के लक्ष्य एवं प्राप्ति की प्रविष्टि सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाईट swachhbihar.bihar.gov.in पर किये जाने हेतु अद्यतन प्रतिवेदन नोडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे एवं नोडल पदाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाईट पर प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाईट पर विभाग द्वारा अपलोड किये गये प्रतिवेदन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा अलग से की जाएगी। **(अनुपालन–सभी प्रशाखा पदाधिकारी)**
6	**निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों का निरीक्षण।**	विभाग (मुख्यालय) में पदस्थापित पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों द्वारा दिनांक 23 एवं 24 जुलाई, 2025 को स्थलीय निरीक्षण के पश्चात् उपलब्ध कराये गये निरीक्षण प्रतिवेदन के संबंध में विस्तृत विवरण के साथ मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन एवं अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग को कार्रवाई हेतु पत्र उपलब्ध कराया जाये। **(अनुपालन– प्रशाखा–2 / अनुश्रवण कोषांग)**
7	**बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ की मांग से संबंधित।**	बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में विभिन्न बिन्दुओं यथा– • पंचायत सचिवों के ग्रेड–पे में संशोधन, • पंचायत सचिवों के पदोन्नति हेतु पद चिन्हित करने, • पंचायत सचिवों की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पदनाम परिवर्तन, • पंचायत सचिवों को ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 का लाभ के लंबित मामले से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन

क्र0 सं0	कार्य / विषय	निर्णय / निदेश
		उपर्युक्त बिन्दुओं के निष्पादन के लिए **बिहार राजस्व सेवा एवं बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग के पदाधिकारियों / कर्मियों** से संबंधित नियमावली / प्रावधानों का अध्ययन कर विभाग स्तर पर विचार किये जाने हेतु **सम्यक् प्रस्ताव के साथ** संचिका उपस्थापित किया जाये। (अनुपालन– प्रशाखा– 4)
8	मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के संबंध में।	(i) मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना अंतर्गत विवाह मंडप निर्माण के संबंध में आवश्यक requirements स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO) को उपलब्ध कराते हुए उनसे Site Planning/**मानक प्राक्कलन** तैयार कर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाये। (ii) योजना अंतर्गत विवाह मंडप निर्माण के लिए तत्काल लगभग 12000 वर्गफीट (120×100) क्षेत्रफल की भूमि चिन्हित करने हेतु जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया जाये। (iii) मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO) के साथ अगले सप्ताह एक बैठक निर्धारित की जाये। (अनुपालन– प्रशाखा–2)
9	पंचायत सरकार भवन में फर्नीचर हेतु अद्यतन बाजार दर पर राशि का आकलन।	पंचायत सरकार भवन में फर्नीचर हेतु राशि का आकलन 5–6 वर्ष पूर्व किया गया था। महंगाई दर में वृद्धि के कारण वर्तमान परिस्थिति में फर्नीचर हेतु **अद्यतन बाजार दर के आलोक में राशि का आकलन** कर **संशोधित प्रस्ताव** के साथ संचिका उपस्थापित किया जाये। (अनुपालन– प्रशाखा–2)
10	ग्राम कचहरी न्यायमित्र के नियोजन के संबंध में।	बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007 के अधीन राज्य के विभिन्न ग्राम कचहरियों अथवा उसकी न्यायपीठ को सहायता के लिए ग्राम कचहरी न्यायमित्र के मेधा सूची के अनुरूप **चयनित अभ्यर्थियों के नियोजन के मामले अभी भी लंबित हैं।** उक्त के संबंध में विभागीय निदेश के आलोक में अग्रतर कार्रवाई हेतु संचिका उपस्थापित किया जाये। (अनुपालन– प्रशाखा–4)
11	तकनीकी सहायक द्वारा किये जा रहे कार्यों का अनुश्रवण।	दैनिक आधार पर तकनीकी सहायक द्वारा किये जा रहे कार्यों (योजनाओं का निरीक्षण इत्यादि) का अनुश्रवण हेतु NIC की मदद से इस सप्ताह **App Develop** कर अगले सप्ताह से तकनीकी सहायक के कार्यों का **दैनिक आधार पर अनुश्रवण** सुनिश्चित किया जाये। (अनुपालन– प्रशाखा–3 / अनुश्रवण कोषांग / आई0टी0 मैनेजर)
12	बेल्ट्रॉन द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराये जा रहे कम्प्यूटर, स्कैनर सहित प्रिन्टर एवं यू0पी0एस0 का अनुश्रवण	बेल्ट्रॉन, पटना द्वारा विभागीय **पत्रांक–4864 दिनांक 03.04.2025** में उल्लिखित **शर्तों** के आलोक में ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर, स्कैनर सहित प्रिन्टर एवं यू0पी0एस0 उपलब्ध कराया जाना था। उक्त के आलोक में अबतक कितने ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर, स्कैनर सहित प्रिन्टर एवं यू0पी0एस0 उपलब्ध करा दिया गया है एवं कितने का Installation किया जा चुका है, से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन उपस्थापित किया जाये।

क्र0 सं0	कार्य / विषय	निर्णय / निदेश
		उक्त संदर्भित विभागीय पत्र के आलोक में यदि किन्हीं ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर, स्कैनर सहित प्रिन्टर एवं गुणवत्तायुक्त यू0पी0एस0 उपलब्ध नहीं कराया जा सका है, इस संबंध में सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग एव प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन, पटना से यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया जाये। (अनुपालन–प्रशाखा–2 / अनुश्रवण कोषांग एवं बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था)
13	**राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) योजना।**	(i) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अंतर्गत **Trainer Empanelment के लिए विज्ञापन / सूचना** (Education एवं Experience सहित) प्रकाशित किये जाने का निदेश बार–बार दिये जाने के बावजूद अभी तक विज्ञापन / सूचना प्रकाशित नहीं किया गया है। संबंधित पदाधिकारी इस सप्ताह विज्ञापन / सूचना प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे। (ii) RGSA योजना के प्रावधान एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 का अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के आलोक में **Turnkey basis** पर **कम्प्यूटर, फर्नीचर, डी.पी.आर.सी. में कम्प्यूटर लैब–सेटअप** करने के संबंध में **Tender** प्रकाशित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाये। (iii) BGSYS के पदाधिकारियों / कर्मचारियों का विभागीय संकल्प के आलोक में BSPRI **(RGSA योजना के प्रावधानानुसार)** अंतर्गत **मैपिंग** संबंधी प्रस्ताव प्रशाखा–2 के वरीय प्रभारी पदाधिकारी एवं परियोजना निदेशक, BSPRI के माध्यम से उपस्थापित किया जाये। (iv) विभागीय संकल्प संख्या–5749 दिनांक 24.09.2020 के आलोक में BSPRI के **पदाधिकारियों / कर्मचारियों का पारिश्रमिक (Remuneration)** के बिन्दु पर प्रशाखा–2 से समन्वय स्थापित कर प्रस्ताव तैयार करना सुनिश्चित करेंगे। (v) RGSA अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों का योजना में निहित प्रावधानानुसार आधार प्रमाणीकरण, पोस्ट ट्रेनिंग असेसमेंट (PTA) एवं ई–सर्टिफिकेट इत्यादि की स्थिति अत्यंत असंतोषजनक है। BSPRI को निदेशित किया जाता है कि RGSA अंतर्गत प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं प्रावधानानुसार आधार प्रमाणीकरण, पोस्ट ट्रेनिंग असेसमेंट एवं ई–सर्टिफिकेट निर्गत इत्यादि में सुधार लाया जाये। RGSA योजना अंतर्गत प्रशिक्षण की विस्तृत समीक्षा अलग से की जाएगी। (अनुपालन–प्रशाखा–2 एवं बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था)

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

13/8/25

(मनोज कुमार)
सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः 9प/प्र0–08–802(खण्ड)/2016/ 10322 /पं०रा०   पटना, दिनांक 14/8/2025

प्रतिलिपिः विशेष सचिव/निदेशक/परियोजना निदेशक/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/अवर सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/प्रभारी अनुश्रवण कोषांग/राज्य परियोजना प्रबंधक, मानव संसाधन–सह–प्रशासन, बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था, पटना/श्रीमती रंजना कुमारी, आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि अपने प्रशाखा से संबंधित विषयों पर कार्रवाई करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाये।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः 9प/प्र0–08–802(खण्ड)/2016/ 10322 /पं०रा०   पटना, दिनांक 14/8/2025

प्रतिलिपिः–सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के आशुलिपिक/निदेशक के आशुलिपिक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः 9प/प्र0–08–802(खण्ड)/2016/ 10322 /पं०रा०   पटना, दिनांक 14/8/2025

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव, को सूचनार्थ प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना